प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'चार'

[30/3/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 6954]

एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड

M.P. STATE CO-OPERATIVE DAIRY FEDERATION LTD.

(मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

दुग्ध भवन, दुग्ध मार्ग, हबीबगंज, भोपाल-462024

Dugdha Bhawan, Dugdha Marg, Habibganj, BHOPAL-462024

Telephone Nos : +917552580400, 2580401, 2580402, 2580403

e-mail : ho.mpcdf@nic.in

Website : www.mpcdf.gov.in

Fax No : +917552583149

सन्दर्भ/Ref : 4886 विपणन/नस्ती क्र–105/2015 Date : 28.9.15

प्रति,

श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी,
माननीय विधायक, बड़वाह
विधानसभा क्षेत्र, 182 खरगौन।

विषयः नगर बड़वाह/सनावद में साँची दुग्ध वितरण की नियुक्ति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंदौर एवं प्रबंधक मार्केटिंग द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाये जाने के संबंध में।

उक्त विषयांतर्गत मुख्यसचिव महोदय, मध्यप्रदेश शासन को संबोधित आपके पत्र दिनांक 15.04.15 जिसकी प्रतिलिपि इस कार्यालय को पृष्ठांकित की गई थी, का कृपया अवलोकन करनें का कष्ट करें।

2. प्रकरण के संदर्भ में एमपीसडीएफ स्तर पर अधिकारियों की समिति गठित कर, समिति को इंदौर दुग्ध संघ के कार्यालय, बड़वाह/सनावद शहर का भ्रमण कर, रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था। समिति द्वारा रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि श्री राघोराम, पिता श्री मंशाराम मंडलोई, नर्मदा दुग्धालय, सनावद जिला खरगौन को गोंगावा, बैड़िया, सनावद, पुनासा, नर्मदा नगर, वासमा एवं धनगांव क्षेत्र में दिनांक 21.01.2013 से साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ की वितरक एजेंसी आवंटित की गई है एवं आदेश क्रमांक–074 दिनांक 22.01.13 से श्री देवेन्द्र, पिता राघोराम मंडलोई, सिविल हॉस्पीटल के सामने सनावद, जिला खरगौन (अंक्षिता मिल्क प्रोडक्ट) को औंकारेश्वर, बड़वाह एवं सिद्धवरकूट क्षेत्र में दिनांक 21.01.13 से साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ की वितरक एजेंसी आवंटित की गई है एवं वर्तमान में दोनों वितरक संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं।

3. श्री प्रसंग दशौरे, को सनावद में मई 2015 में एजेंसी (रिटेलरशिप) आवंटित कर दी गई है एवं वर्तमान में उनके द्वारा औसतन 45–50 लीटर दूध प्रतिदिन विक्रय किया जा रहा है। रिटेलरशिप मिलने से वह संतुष्ट है तथा उन्हें कोई शिकायत नही है।

4. कसरावद में 3 वितरक नियुक्त हैं। बड़वाह एवं सनावद में यदि कोई अन्य वितरक नियुक्त किया जाता है तो वर्तमान विपणन पर विपरीत असर पड़ सकता है। अतः उपरोक्त तथ्य अनुसार अभी सनावद में वितरक की नियुक्ति आवश्यक नही है। कृपया अवगत होना चाहेंगे।

प्रबंध संचालक

O/C
26/9